

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड राँची।

आरोप पत्रित सरकारी सेवकों की सूची माह- फरवरी, 2016 तक।

क्र० सं०	निगरानी थाना काण्ड संख्या, तिथि एवं धारा	संबंधित विभाग	अभियुक्तों का नाम एवं पदनाम
1	निगरानी थाना कांड सं०- 69/15, दिनांक - 04.12.15 धारा- 07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ्र०नि० अधि०-1988	गृह विभाग। ट्रेप केस। 5,000/-	प्राथमिकी अभियुक्त श्री हरे कृष्ण राय, (उम्र-56 वर्ष), पिता-श्री राम नरेश राय, स्थाई पता- ग्राम+पो०- पुराहरा, थाना- चौड़ी, जिला-भोजपुर (बिहार), वर्तमान- पुलिस अवर निरीक्षक, नगड़ी थाना, जिला-राँची। आरोप पत्र सं०-11/16 दिनांक-02.02.16 समर्पित।
2	निग० था० कां० सं० 13/98 दि०-14.07.98 धारा-420/467/468/471/120(बी) भ्र०द०वि० एवं 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) डी भ्र०नि०अधि०-1988	विद्युत विभाग। विद्युत कार्यालय, दुमका में बिजली उपकरण खरीद में गबन। (1982-88)	विद्युत कार्या०, दुमका अप्राथमिकी अभियुक्त- जंगबहादुर सिंह, तत्कालीन वि०अ०अभि० वि०आ० देवधर। आरोप पत्र सं०-12/16 दिनांक-03.02.16
3	निगरानी थाना कांड सं०-19/13, दिनांक- 15.05.13 धारा- 409/420/467/468/471/477(ए)/120(बी) भ्र०द०वि० एवं धारा- 13(2) सह पठित 13(1)(सी)(डी) भ्र०नि० अधि०-1988 (विशेष वाद सं०- 20/13)	मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखंड, राँची के पत्र सं०-585 दिनांक-04.05.13 में दिये गये आदेश के आलोक में निगरानी ब्यूरो पी०ई० सं०-13/09 के जांचोपरान्त कल-05 एवं अन्य प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध ए०पी०डी०आर०पी०, (त्वरिय उर्जा, विकास सुधार कार्यक्रम) योजना अन्तर्गत राँची, खुँटी, रामगढ़, जामताड़ा एवं पाकुड़ शहर में ट्रांसमिशन लाइन सुदृढीकरण कार्यों में बरती गई अनियमितता के आरोप में दर्ज की गई है।	श्री पी०के० सिन्हा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, क्रमांक-01 पर आरोप पत्र सं०-14/16 दिनांक- 05.02.16 समर्पित की गई है।
4	निगरानी थाना कांड सं०-41/15, दिनांक- 24.07.15 धारा- 07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ्र०नि० अधि०-1988	ट्रेप केस। 10,000/-	श्री तपन कुमार साहू, (उम्र-30 वर्ष) पे०-सनत कुमार साहू, सा०-छोटा टंगरानी, थाना- सरायकेला, जिला-सरायकेला खरसांवा, वर्तमान- लिपिक आनन्दपुर प्रखंड, जिला- सरायकेला खरसांवा। आरोप पत्र सं०-10/16 दिनांक-01.02.16

5	निगरानी थाना कांड सं0-75/15, दिनांक-18.12.15 धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0 अधि0-1988	गृह विभाग। ट्रेप केस। 5,000/-	प्राथमिकी अभियुक्त श्री राजेन्द्र कुमार (उम्र-58 वर्ष) पिता-स्व0 जगदेव प्रसाद, वर्तमान सहायक पुलिस अवर निरीक्षक, धुर्वा थाना, जिला-रांची स्थाई पता-सा0+पो0- धनियावाँ, थाना-नारदीगंज, जिला-नवादा (बिहार) । आरोप पत्र सं0-15/16 दिनांक-16.02.16
6	निगरानी थाना कांड सं0-01/16, दिनांक-04.01.16 धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0 अधि0-1988	गृह विभाग। ट्रेप केस। 21,000/-	श्री महेन्द्र कुमार, (उम्र-55 वर्ष) पिता-स्व0 जगदेव मांझी, सा0- पोखराहा खूर्द, पो0-रजवाडीह, थाना-सदर, जिला- पलामू वर्तमान प्रभारी, विशेष अनुसंधान केन्द्र, सदर (कोर्ठा) थाना-सदर, जिला-हजारीबाग। आरोप पत्र सं0-16/16 दिनांक-25.02.16 समर्पित किया गया है।
7	निगरानी थाना कांड सं0- 74/15, दिनांक - 17.12.15 धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0 अधि0-1988	नगर निगम विभाग रांची। ट्रेप केस। 1210/-	प्राथमिकी अभियुक्त श्री श्याम नारायण सिंह (उम्र-55 वर्ष), पिता-स्व0 छठु सिंह, वर्तमान लिपिक, रा0कृ0+2 बालिका उच्च विद्यालय, हुसैनाबाद, जिला-पलामू, वर्तमान पता-सा0-सिद्धनाथ नगर, थाना-हुसैनाबाद, जिला-पलामू, स्थाई पता- सा0- रामपुर, थाना-करगहर, जिला-रोहतास (बिहार) । आरोप पत्र सं0-13/16 दिनांक-05.02.16 समर्पित।